**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.09.2025**

कमिश्नरेट गाजियाबाद में विगत सप्ताह दिनांक 04.09.2025 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त हत्या एवं हत्या का प्रयत्न, बलवा करने, गाली गलौच करने, मारपीट कर चोट/गंभीर चोट पहुंचाना, जान से मारने की धमकी देने, धोखधडी करने, लूट/चोरी/झपटमारी करना, अवैध हथियार रखना, आपराधिक न्यास भंग, उद्दापन, अपहरण, महिलाओं के प्रति अपराध, गोवध एवं पशुओ के प्रति क्रूरता करने जैसे सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 09 विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

| क्र0 सं0 | वाद संख्या | थाना | नाम व पता | अपराधिक इतिहास |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/2025 | कविनगर | नीरज कौशिक पुत्र प्रेम प्रकाश निवासी एच-02 ब्लॉक गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद | 1. मु0अ0सं0 18/2024 धारा 302,201,120बी भादवि थाना मधुबन बापूधाम<br>2. मु0अ0सं0 79/2023 धारा 325,342,346,347,348,386,387,504,506 भादवि थाना मधुबन बापूधाम<br>3. मु0अ0सं0 343/2022 धारा 420,406 भादवि थाना कविनगर<br>4. मु0अ0सं0 1002/2021 धारा323,342,354,354(ख),384,420,406,504, 506 भादवि थाना मसूरी<br>5. मु0अ0सं0 153/2018 धारा 406,420,506 भादवि थाना मसूरी<br>6. मु0अ0सं0 1415/2016 धारा 406,420,467,471,506 भादवि थाना कविनगर |
| 2 | 19/2025 | नन्दग्राम | वंश शर्मा पुत्र नीरज शर्मा निवासी म0नं0 271 गली नं0 9 नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद | 1. मु0अ0सं0 880/2024 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम<br>2. मु0अ0सं0 931/2024 धारा 303(2)317(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम<br>3. मु0अ0सं0 958/2024 धारा 303(2)317(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 4. मु0अ0सं0 971/2024 धारा 317(5) बीएनएस थाना नन्दग्राम |
| 3 | 31/2025 | नन्दग्राम | रंजीत उर्फ भोला पुत्र नारायण निवासी म0नं0 एफ-549 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद | 1. मु0अ0सं0 852/2022 धारा 379,411,427 भादवि थाना नन्दग्राम<br>2. मु0अ0सं0 1071/2022 धारा 380,411 भादवि थाना नन्दग्राम<br>3. मु0अ0सं0 334/2024 धारा 414,482,420 भादवि थाना नन्दग्राम<br>4.मु0अ0सं0 824/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नन्दग्राम<br>5.मु0अ0सं0 1520/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सिहानीगेट |
| 4 | 72/2025 | लोनी | आफताब उर्फ गुड्डू पुत्र अखलाक निवासी चौधरी चौक टोली मौहल्ला, थाना लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद | 1. मु0अ0सं0 50/2025 धारा 331(4),305,317(2) बीएनएस थाना लोनी,<br>2. मु0अ0सं0 662/2024 धारा 305,324(4),317(2) बीएनएस थाना लोनी,<br>3. मु0अ0सं0 663/2024 धारा 331(4),305,317(2) बीएनएस थाना लोनी, |
| 5 | 85/2025 | साहिबाबाद | रहबर पुत्र अकबर निवासी बंजारे वाली गली, संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद, कमिश्नरेट गाजियाबाद | 1. मु0अ0सं0 65/2022 धारा 324,506 भादवि थाना साहिबाबाद,<br>2. मु0अ0सं0 204/2022 धारा 411,414 भादवि थाना निवाडी<br>3. मु0अ0सं0 134/2022 धारा 379,411 भादवि थाना निवाडी<br>4. मु0अ0सं0 140/2022 धारा 379,411 भादवि थाना निवाडी<br>5. मु0अ0सं0 35/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना निवाडी |
| 6 | 124/2025 | मोदीनगर | पंकज उर्फ पंकज चौधरी पुत्र सुन्दरपाल चौधरी उर्फ सुन्दर लाल निवासी गली नं0 01 डिफेन्स कालोनी निवाडी रोड थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद | 1. मु0अ0सं0 326/2024 धारा 323,324,325,458,506 भादवि थाना मोदीनगर,<br>2. मु0अ0सं0 450/2024 धारा 506 भादवि थाना मोदीनगर<br>3. मु0अ0सं0 853/2021 धारा 323,325,354(क),504,506 भादवि थाना मोदीनगर<br>4. मु0अ0सं0 745/2022 धारा 323,452,504,506 भादवि थाना मोदीनगर<br>5. मु0अ0सं0 1008/2021 धारा 323,504,506 भादवि थाना मोदीनगर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 139/2025 | इन्दिरापुरम | राहुल कुमार गोला उर्फ गुज्जी पुत्र मोहन कुमार गोला निवासी मकान संख्या 87/88 सी न्यायखण्ड-3 थाना इन्दिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद | 1. मु0अ0सं0 7532/2017 धारा 392,411 भादवि थाना इन्दिरापुरम,<br>2. मु0अ0सं0 7625/2017 धारा 392,411 भादवि थाना इन्दिरापुरम,<br>3. मु0अ0सं0 540/2019 धारा 392,411 भादवि थाना इन्दिरापुरम,<br>4. मु0अ0सं0 499/2024 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना कौशाम्बी,<br>5. मु0अ0सं0 482/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इन्दिरापुरम<br>6. मु0अ0सं0 1588/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम<br>7. मु0अ0सं0 1924/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम<br>8. मु0अ0सं0 2509/2019 धारा 379,411 भादवि थाना इन्दिरापुरम<br>9. मु0अ0सं0 922/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम<br>10. मु0अ0सं0 924/2017 धारा 411,414 भादवि थाना इन्दिरापुरम,<br>11. मु0अ0सं0 7683/2017 धारा 392,411 भादवि थाना इन्दिरापुरम |
| 8 | 147/2025 | इन्दिरापुरम | अकबर पुत्र मौहम्मद युसुफ खान निवासी फ्लैट 617 जी न्यायखण्ड प्रथम थाना इन्दिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद | 1. मु0अ0सं0 612/2025 धारा 115(2),127(2),191(2),352 बीएनएस थाना इन्दिरापुरम<br>2. मु0अ0सं0 1344/2019 धारा 147,148,323,506 भादवि थाना इन्दिरापुरम, |
| 9 | 160/2025 | मसूरी | शहजाद छोलसिया पुत्र यामीन निवासी ग्राम ढबारसी थाना मसूरी, कमिश्नरेट गाजियाबाद | 1. मु0अ0सं0 364/2023 धारा 324,504 भादवि थाना मसूरी<br>2. मु0अ0सं0 112/2024 धारा 307,429 भादवि 3/11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी<br>3. मु0अ0सं0 435/2020 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट थाना मसूरी<br>4. मु0अ0सं0 844/2021 धारा 429 भादवि 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मसूरी<br>5. मु0अ0सं0 45/2023 धारा 429 भादवि 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मसूरी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 6. मु0अ0सं0 95/2023 धारा 429 भादवि 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मसूरी<br>7. मु0अ0सं0 748/2018 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना मसूरी<br>8. मु0अ0सं0 354/2019 धारा 392,411 भादवि थाना कविनगर<br>9. मु0अ0सं0 327/2017 धारा 392,411 भादवि थाना सै0-24 गौतमबुद्धनगर<br>10. मु0अ0सं0 1307/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी |

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष-2025 में अब तक कुल 75-विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) एवं 54- विपक्षी/अभियुक्तो को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

**थाना सिहानीगेट पुलिस टीम ।**

## थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 06.09.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि मेरी बेटी जिसकी उम्र 16 वर्ष है, के साथ सुमित नाम के लड़के द्वारा कुछ समय से डरा धमकाकर दुष्कर्म किया जा रहा था, मेरी बेटी की तबीयत खराब होने पर बेटी ने मुझको बताया कि पिछले कुछ दिनों से सुमित उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था और उसने पीड़िता का अबॉर्शन भी कराया है और जब वह सुमित से बातचीत करने गई तो उसने पीड़िता के साथ मारपीट की तथा परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 64(1)/89/115(2)/351(2)/351(3) बीएनएस व 5L/6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 08.09.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुमित कुमार गुप्ता पुत्र महेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी डी 8/18, नवजीवन स्कूल के पास डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को डीएलएफ कट थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरा पीडिता के घर में आना जाना था । पीडिता के माता पिता दोनों काम पर चले जाते थे और जब पीड़िता घर में अकेली रहती थी तो मैं जाकर उसके साथ गलत काम करता था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

सुमित कुमार गुप्ता पुत्र महेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी डी 8/18, नवजीवन स्कूल के पास डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष ।

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम–**

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

## थाना मोदीनगर पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित 25 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन, 01 मोटरसाइकिल तथा 02 नम्बर प्लेट बरामद।

दिनांक 13.09.2024 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री सचिन कुमार द्वारा तहरीर दा गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान से करीब 90 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा 331(4)/305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोंग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस टीम व स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. वकालत पुत्र स्व0 शराफत निवासी नूरगंज मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद 2. दिनेश पुत्र स्व0 विजयपाल सिंह मूल पता ग्राम रामनगर थाना रामनगर जिला अलीगढ़ हाल पता सरस्वती विहार DPS स्कूल के सामने थाना नन्दग्राम गाजियाबाद 3. आकाश जाटव पुत्र खेमचन्द निवासी बील अकबरपुर थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है तथा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हारुन कुरैशी उर्फ आबिद लगातार फरार चल रहा था जिसके ऊपर श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण कमिश्रेट गाजियाबाद महोदय द्वारा 25,000/- रुपये का पुरुष्कार घोषित किया गया था।

आज दिनांक 08.09.2025 थाना मोदीनगर पुलिस टीम/ स्वाट टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उपरोक्त अभियोग में वांछित 25000/- रुपये के इनामी अभियुक्त हारुन कुरैशी उर्फ आबिद पुत्र समसू कुरैशी निवासी न्यू सीलमपुर गली न0-24 ब्रह्मपुरी थाना उस्मानपुर दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष को तिबडा रोड बम्बा से गढी की ओर जाने वाले रास्ते से थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी किया गया 01 मोबाइल फोन व थाना मोदीनगर क्षेत्र से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल तथा 02 नम्बर प्लेट बरामद हुयी। उक्त चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में थाना मोदीनगर पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ गोविन्दपुरी में एक दुकान से चोरी की थी जिसमें मेरे साथियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जिसमें से मेरे पास यह फोन बचा था जो मुझसे बरामद हुआ है तथा यह मोटरसाइकिल मैंने लगभग 02 महीने पहले दुर्गा मन्दिर के पास से थाना मोदीनगर क्षेत्र से चोरी की थी जिसे मैं आज बेचने की फिराक में था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

हारुन कुरैशी उर्फ आबिद पुत्र समसू कुरैशी निवासी न्यू सीलमपुर गली न0-24 ब्रह्मपुरी थाना उस्मानपुर दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष।

**बरामदगी-**

कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन, 01 मोटरसाइकिल तथा 02 नम्बर प्लेट बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-**

स्वाट टीम ग्रामीण जोन

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

## थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 79 पव्वे अवैध शराब हरियाणा मार्का बरामद।

आज दिनांक 08.09.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ अभियुक्ता सीमा पत्नी राजेश निवासी मिल्लत कॉलोनी सिल्वर सिटी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को थाना ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 79 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का के बरामद हुये। अभियुक्ता के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर 60/63 आबकारी अधि0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने बताया कि मैं यह शराब हरियाणा राज्य से चोरी छुपे बैग व बोरे में छिपाकर लेकर आती हूँ तथा ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में चोरी छिपे बेच देती हूँ। आज मैं शराब के पव्वे को बेचने के लिए जा रही थी कि पुलिस ने पकड लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता -**

सीमा पत्नी राजेश निवासी मिल्लत कॉलोनी सिल्वर सिटी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

**बरामदगी का विवरण-**

कब्जे से 79 पव्वे अवैध शराब हरियाणा मार्का बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर आबकारी अधिनियम के कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना ट्रोनिका सिटी टीम।

## स्वाट टीम क्राईम ब्रांच व थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा विजयनगर क्षेत्र से इनोवा गाड़ी पर RSS जिलाध्यक्ष लिखाकर लोगो पर रोब जमाने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार व कब्जे से वाहन एवं RSS झण्डा व स्टीकर बरामद।

दिनांक 07.09.2025 को स्वाट टीम क्राईम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई कि थाना विजयनगर क्षेत्र में कार एक इनोवाक्रिस्टा गाड़ी रजिस्ट्रेशन नम्बर UP14FA5858 रंग सफेद के चालक द्वारा गाड़ी के आगे बोनट पर RSS रंग भगवा का झण्डा लगाये हुये है तथा गाड़ी के आगे व पीछे के शीशों पर RSS जिला अध्यक्ष का स्टीकर लगाकर जिस पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तम्भ भी लगा है के चालक द्वारा लोगो पर रोब झाड़ते हुये रेलवे स्टेशन की ओर आ रहा है। जिसे रेलवे रोड़ उत्सव भवन के पास गाड़ी को रोककर वाहन चालक नाम पता पूछा तो अपना नाम ओमवीर पुत्र प्रेम सिंह निवासी सैक्टर – 122 डी - 159 थाना सैक्टर – 113 जिला गौतमबुद्धनगर बताया गाड़ी पर लगे RSS झण्डे व स्टीकर के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जबाव नही दे सका। वाहन चालक ओमवीर उपरोक्त को कार्यवाही करते हुये हिरासत पुलिस लिया गया तथा मौके से बरामद गाड़ी को नम्बर UP14FA5858 इनोवाक्रिस्टा को थाना विजयनगर पर लाकर दाखिल किया गया। वाहन चालक के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

**पूछताछ का विवरण -** गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैने अपनी गाड़ी नम्बर UP14FA5858 इनोवाक्रिस्टा पर RSS का झण्डा लगा रखा है तथा गाड़ी के शीशों पर RSS जिलाध्यक्ष का स्टीकर भी लगाया हुआ है। गाड़ी पर RSS का झण्डा व शीशो पर जिला अध्यक्ष स्टीकर लगा होने से समाज में मेरा रूतबा बढा रहता है तथा लोगो के बीच मेरा वर्चस्व बना रहता है। स्टीकर लगा होने के कारण जनता एवं अन्य विभाग का व्यक्ति ना तो मेरी गाड़ी रोकता है और ना ही कोई टोकता है। और इसका मुझे लाभ भी मिलता है जैसे टोल टैक्स ना देना तथा सरकारी संस्थानों में जाकर अपना रोब जमाकर जनता के लोगो का काम कराकर लाभ लेना आदि कार्य करवाता हूं।

## गिरफ्तारी करने वाली टीम

स्वाट टीम क्राईम ब्रांच कमिश्नरेट गाजियाबाद।

## थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.08.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को अभियुक्त रविन्द्र पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम दतैडी थाना भोजपुर गाजियाबाद द्वारा विवाह करने का दवाब बनाना, फोन व सिम देने का प्रलोभन देना व विवाह ना करने पर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देना व बदतमीजी करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा- 75(1)(2)/351(3)/352 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 123/65(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 08.09.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रविन्द्र पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम दतैडी थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैने पीडिता को कोल्डड्रिंक में नशे की गोली देकर उसके साथ गलत काम किया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

रविन्द्र पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम दतैडी थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम–**

थाना भोजपुर पुलिस टीम।